

दिनांक 21.07.2025 को शिकायत निवारण समिति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की आयोजित बैठक का कार्रवाई प्रतिवेदन :

उपस्थिति :


डा. फिजा अहमद, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बि.कृ.वि., सबौर
डा. मिजानुल हक, कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर
श्री उमेश कुमार, नामिनी नियंत्रक, बि.कृ.वि., सबौर
श्री अजय कुमार मल्लिक, अंकेक्षण पदाधिकारी, बि.कृ.वि., सबौर


बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष, शिकायत निवारण समिति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा माह जून 2025 तक विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न कोटि के कर्मियों द्वारा शिकायत निवारण समिति को भेजे गये आवेदनों से अवगत कराया गया। साथ ही दिनांक 07.05.2025 को आयोजित शिकायत निवारण समिति की बैठक में समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में संबंधित निदेशालयों/महाविद्यालयों/संस्थान से कृत कार्यवाही प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। समिति द्वारा दिनांक 07.05.2025 को आयोजित बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में संबंधित निदेशालयों/महाविद्यालयों/संस्थान से कृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर खेद प्रकट किया गया तथा पुनः शिकायतों के निवारण हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में वस्तुस्थिति एवं कृत कार्रवाई से संबंधित निदेशालयों/महाविद्यालयों/संस्थान को अवगत कराने हेतु अनुरोध पत्र निर्गत करने को कहा गया। प्राप्त शिकायतों पर समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा किया गया :-


क. सं.	शिकायतकर्ता का नाम/पदनाम	शिकायत का बिन्दु	शिकायत कोषांग को प्राप्त आवेदन की तिथि	समिति की अनुशंसा												
	डा. शान्तिभूषण, सम्बद्ध प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक (पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग), वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव	डा. शान्तिभूषण द्वारा कैरियर एडवांसमेंट योजना अन्तर्गत दी गई उनको दी गई प्रोन्नति की तिथि को सही करने का अनुरोध किया गया है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Post and GP (level)</th> <th>Due date of promotion under CAS and GP (level)</th> <th>Date of promotion as per University Notification</th> <th>Required date of promotion to be after correction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assistant Prof.-cum-Jr. Scientist (PBG)</td> <td>28.06.2027 GP-8000 (Level-12)</td> <td>29.06.2017</td> <td>28.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Assoc. Prof.-cum-Sr. Scientist (PBG)</td> <td>28.06.2020 GP-9000 (Level-12)</td> <td>30.06.2020</td> <td>28.06.2020</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Post and GP (level)	Due date of promotion under CAS and GP (level)	Date of promotion as per University Notification	Required date of promotion to be after correction	Assistant Prof.-cum-Jr. Scientist (PBG)	28.06.2027 GP-8000 (Level-12)	29.06.2017	28.06.2017	Assoc. Prof.-cum-Sr. Scientist (PBG)	28.06.2020 GP-9000 (Level-12)	30.06.2020	28.06.2020	10.07.2025	समिति द्वारा डा. शान्तिभूषण के आवेदन पर विचार करते हुये प्रोन्नति की तिथि को सही करते हुये शुद्धीकरण कार्यालय आदेश निर्गत करने की अनुशंसा की गई। (कार्रवाई: निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)
Name of Post and GP (level)	Due date of promotion under CAS and GP (level)	Date of promotion as per University Notification	Required date of promotion to be after correction													
Assistant Prof.-cum-Jr. Scientist (PBG)	28.06.2027 GP-8000 (Level-12)	29.06.2017	28.06.2017													
Assoc. Prof.-cum-Sr. Scientist (PBG)	28.06.2020 GP-9000 (Level-12)	30.06.2020	28.06.2020													
2	डा. विनय कुमार, सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान), जूट अनुसंधान केन्द्र, कटिहार	डा. विनय कुमार के द्वारा बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर से उनके स्थानांतरण जूट अनुसंधान केन्द्र, कटिहार होने के बाद भी विश्वविद्यालय के आवासीय क्वार्टर में रहने पर की गई पैन्ल रेंट की वापसी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना का न्यायालय आदेश 24.06.2025 (CWJC No. 10231/2020) की वेब प्रति संलग्न करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा कटौती की गई राशि की वापसी करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने को कहा गया है।	07.07.2025	डा. विनय कुमार के मामले में समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये आवास आवंटन परिनियम तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त न्यायादेश के आलोक में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से विधिक मतव्य शीघ्र प्राप्त करने												


3	डा. राजकुमार साह, सहायक प्राध्यापक -सह-कनीय वैज्ञानिक, भो.पा.शा.कृ. महा., पूर्णिया	डा. राजकुमार साह द्वारा तीन बिन्दुओं पर शिकायत दर्ज कराया गया है :-	03.05.2025	गया। (कार्रवाई: निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)
अ		एम.भी.एस.सी. डिग्री के आलोक में दी गई दो प्रोत्साहन वेतन वृद्धि के उपरांत एरियर में आवासीय भत्ता के अंतर राशि का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करने के संबंध में।		समिति द्वारा डा. राजकुमार साह का प्रोत्साहन वेतनवृद्धि के उपरांत एरियर में आवासीय भत्ता के एरियर का पूर्ण भुगतान अबतक क्यों नहीं किया गया है, संबंधित महाविद्यालय से पृच्छा किये जाने की अनुशंसा किया गया। (कार्रवाई: प्राचार्य, टी.कु.सिं.कृ.महा., डुमरौव)
ब		12,190/-रूपया का यात्रा भत्ता का भुगतान लंबित रहने के संबंध में।		समिति द्वारा डा. राजकुमार साह का यात्रा भत्ता का भुगतान अबतक क्यों नहीं किया गया है, संबंधित महाविद्यालय से पृच्छा किये जाने की अनुशंसा किया गया। (कार्रवाई: प्राचार्य, वी.कु.सिं.कृ.महा., डुमरौव)
स		कैरियर एडवांसमेंट अंतर्गत 6000/- से 7000/- रूपये में दिये गये प्रमोशन की तिथि को 20.07.2014 के स्थान पर वास्तविक देय तिथि 20.07.2012 करने तथा उक्त अवधि का एरियर भुगतान करने के संबंध में।		समिति द्वारा कैरियर एडवांसमेंट अंतर्गत 6000/- से 7000/- रूपये में दिये गये प्रमोशन की तिथि को 20.07.2014 के स्थान पर वास्तविक देय तिथि 20.07.2012 करने के मामले पर निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर को पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया ताकि अगली बैठक में उचित निर्णय समिति द्वारा लिया जा सके। (कार्रवाई: निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)
4	डा. सफी अफरोज सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक, ए.सी.एस., किशनगंज	वेतन संरक्षण के संबंध में।	25.03.2025	डा. सफी अफरोज के वेतन संरक्षण के मामले पर समिति द्वारा विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम के

				की अनुशंसा की गई। (कार्रवाई: निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)
5	श्री देवानन्द कुमार, सहायक नियंत्रक, नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय	श्री देवानन्द कुमार द्वारा उनके पूर्व में कार्यरत संस्थान सी. एस.आई.आर हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, हिमालय प्रदेश का पत्र 2-2(53)/03-इ.एस.टी. टी. दिनांक 31.10.2023 के आलोक में राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में समाहित करने का अनुरोध किया गया है।	25.05.2025	श्री देवानन्द कुमार के आवेदन को समिति द्वारा निदेशक प्रशासन, बि.कृ. वि, सबौर को उचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने का अनुशंसा किया गया साथ ही इस संबंध में कृत कार्रवाई से अगली बैठक में समिति को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। (कार्रवाई: निदेशक प्रशासन, बि.कृ.वि., सबौर)
6	नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय के कुछ वैज्ञानिकों संयुक्त आवेदन	नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय के कुछ वैज्ञानिकों संयुक्त आवेदन दिनांक 90/GEN/NCOH, Noorsarai दिनांक 21.04.2025। इन वैज्ञानिकों द्वारा स्थानांतरण भत्ता तथा यात्रा भत्ता ससमय भुगतान हेतु राशि की मांग की गई है।	02.05.2025	समिति द्वारा सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नालंदा को निदेशित किया गया कि बिहार सरकार से आवंटन प्राप्त होते ही इन सभी वैज्ञानिकों को बकाया यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई से समिति को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। (कार्रवाई: सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नालंदा)


 (अजय कुमार मल्लिक)
 अंकेक्षण पदाधिकारी,
 बि.कृ.वि., सबौर
 सदस्य सचिव


 (मिजनुल हक)
 कुलसचिव, बि.कृ.वि., सबौर)


 (उमेश कुमार)
 नियंत्रक (नामित),
 बि.कृ.वि., सबौर
 सदस्य


 (फिजा अहमद)
 निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र,
 बि.कृ.वि., सबौर